प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
प्रिंसिपल बैंच,
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
नई दिल्ली।
(द्वारा ई–मेल)

संख्या 143 /सात–एल0आर0सी0/2024 दिनांकः29 अगस्त, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–595/2022 (IA NO-04/2024 & I.A No 07/2024) सरिता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–595/2022 (IA NO-04/2024 & I.A No 07/2024) सरिता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के बिन्दु संख्या–04 व 05 में निम्नवत् आदेश पारित किया गया है–

3- *"For the purpose of present case, we find that first of all, the area of lake which has been illegally encroached, should be cleared by taking appropriate steps by concerned authorities."*

4- *"District Magistrate stated that appropriate action shall be taken within four weeks. Let him file an updated Status Report, after taking appropriate action for restoration of lake area as per revenue record within five weeks."*

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु उप जिलाधिकारी मवाना को निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी मवाना की आख्या दिनांक 28/08/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना में स्थित झील के खसरा नम्बरान को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

क्र0	खसरा सं0	अभिलेख खतौनी में अंकित रकबा (है0 में)	अतिक्रमण मुक्त रकबा (है0में)	अतिक्रमण युक्त रकबा (है0 में)	अतिक्रमण मुक्त कराया गया रकबा (है0 में)	यदि स्थाई कब्जा का प्रकार/रकबा (है0 में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	538मि0	0.4050	0.4050	—	—	—	रकबा अतिक्रमणमुक्त है। सम्पूर्ण रकबे पर वन लगे हुए है।
2	569मि0	39.1150	37.4461	1.6689	0.2530	आबादी/ 1.4159है0	रकबा 0.2530है0 पर मौके पर ग्रामवासी श्री अनिल पुत्र भूप सिंह द्वारा गन्ने की फसल बोई गई थी। फसल कटवाते हुए रकबे को अतिक्रमणमुक्त कराया दिया गया है। फोटो संलग्न है तथा शेष रकबा 1.4159है0 पर आबादी बनी हुई है।
3	571/1/ 1मि0	1.9600	0.9600	1.000	1.000	—	रकबा 1.000है0 पर मौके पर ग्रामवासी श्री सतीश पुत्र जगवीर द्वारा धान की फसल बोई गई थी। फसल नष्ट कराकर रकबे को अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया है। फोटो संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

4	572मि0	14.8840	14.0969	0.7871	0.2530है0	आबादी/ 0.5341है0	रकबा 0.2530है0 पर गन्ने की फसल बोई गई थी। फसल कटवाते हुए रकबे को अतिकमणमुक्त करा दिया गया है। फोटो संलग्न है तथा शेष रकबा 0.5341है0 पर आबादी बनी हुई है।
5	600मि0	14.0620	6.2370	7.8250	7.8250	—	रकबा 7.8250है0 पर बंगाली परिवारों द्वारा धान की फसल बोई गई थी। फसल नष्ट कराकर रकबे को अतिकमणमुक्त कराया दिया गया है। फोटो संलग्न है।
6	602/1	0.6320	0.6320	—	—	—	मौके पर ऊँची जंगली घास खड़ी है।
7	607/2/1	0.0250	0.0250	—	—	—	मौके पर सम्पूर्ण रकबा अतिकमणमुक्त है।
8	624/1मि0	0.1770	0.1770	—	—	—	मौके पर सम्पूर्ण रकबा अतिकमणमुक्त है।
9	622मि0	0.2280	0.2280	—	—	—	मौके पर सम्पूर्ण रकबा अतिकमणमुक्त है।
	09	71.4880	60.2070	11.281	9.3310	1.9500	

उपरोक्त तालिकानुसार महोदय को सादर अवगत कराना है कि राजस्व अभिलेखो में ग्राम नंगला गौसाई परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना में स्थित झील के कुल 09 खसरा नम्बरान कुल रकबा 71.488है0 में से रकबा 60.207है0 भूमि पूर्व से रिक्त है।

रकबा 9.3310है0 भूमि पर अस्थाई रूप से कब्जा कर बोई गयी फसल आदि को मौके पर विशेष अभियान चलाते हुए अवैध कब्जों को हटवाकर रिक्त करा दिया गया है। **(संलग्नक–1 मौके की फोटोग्राफ्स)**। साथ ही बंगाली परिवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के बिन्दु संख्या–5 में यह कहा गया है कि ***भविष्य में हम बंगाली परिवारों द्वारा झील की भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जायेगी*** (संलग्नक–2)। इस प्रकार वर्तमान में झील के कुल रकबे 71.4880है0 में से रकबा 69.5380है0 मौके पर रिक्त है।

अवगत कराना है कि अवशेष रकबा 1.9500है0 पर 107 हिन्दू बंगाली परिवार कच्चे–पक्के मकान बनाकर निवासरत है, जिनके पुर्नवासन के संबंध में जनपद स्तर पर यथा–आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इस संबंध में शासन स्तर पर भी पत्राचार किया गया है। **(संलग्नक–3)**

अतः महोदय से अनुरोध है कि तहसील मवाना जनपद मेरठ के ग्राम नंगला गौसाई की उक्त भूमि रकबा 1.9500है0 पर बसे 107 हिन्दू बंगाली समुदाय के परिवारों के पुनर्वास की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु 04 माह का समय प्रदान करने का कष्ट करें।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

29/8/2024

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

Teh(M)

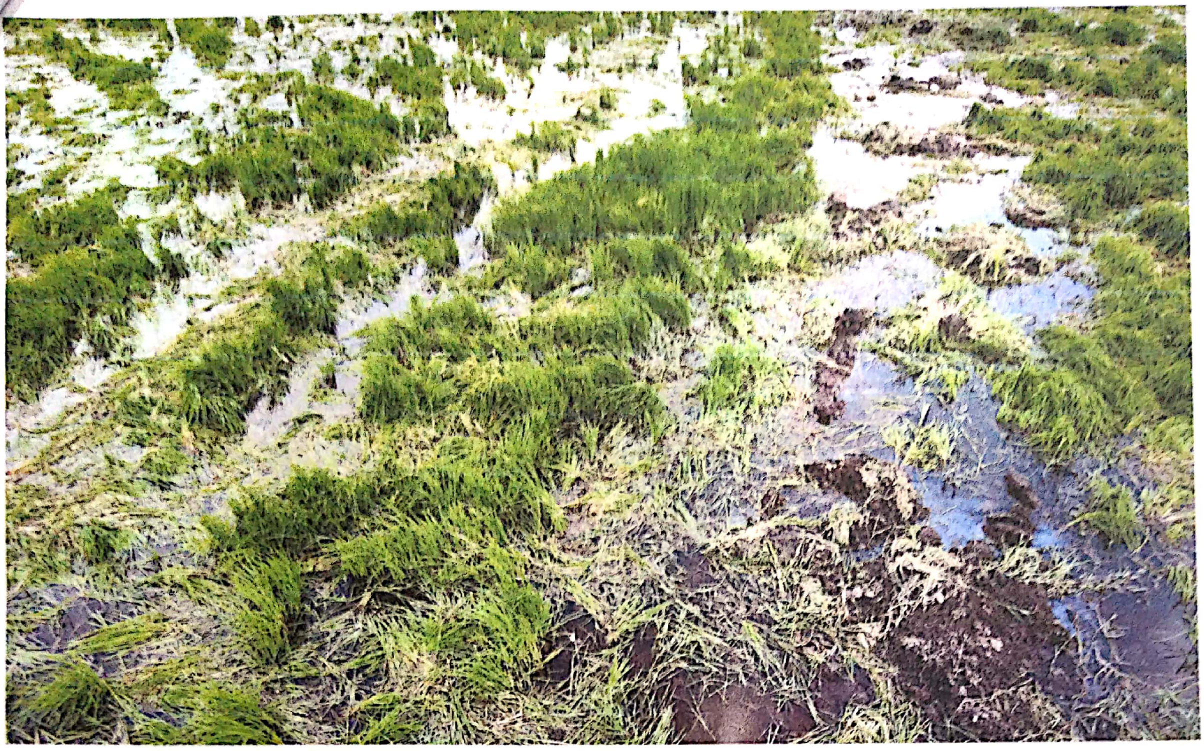

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

Teh(M)

Scanned with OKEN Scanner

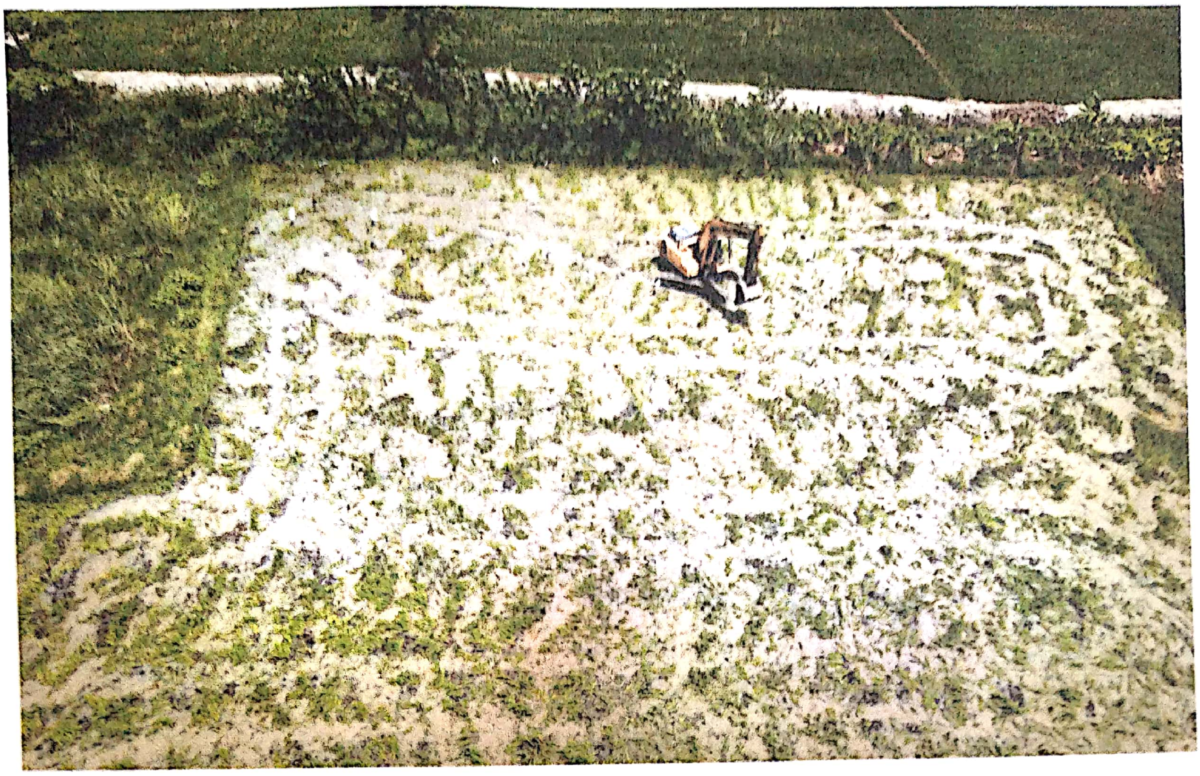

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

R.I (P) नायब तह० (प्रभारी) Teh (M)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

R.I (B)

Teh (M)

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम नंगला गोसाई झील की भूमि

R.K.(P) ना०त०(न०ग०) Teh(M)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -1

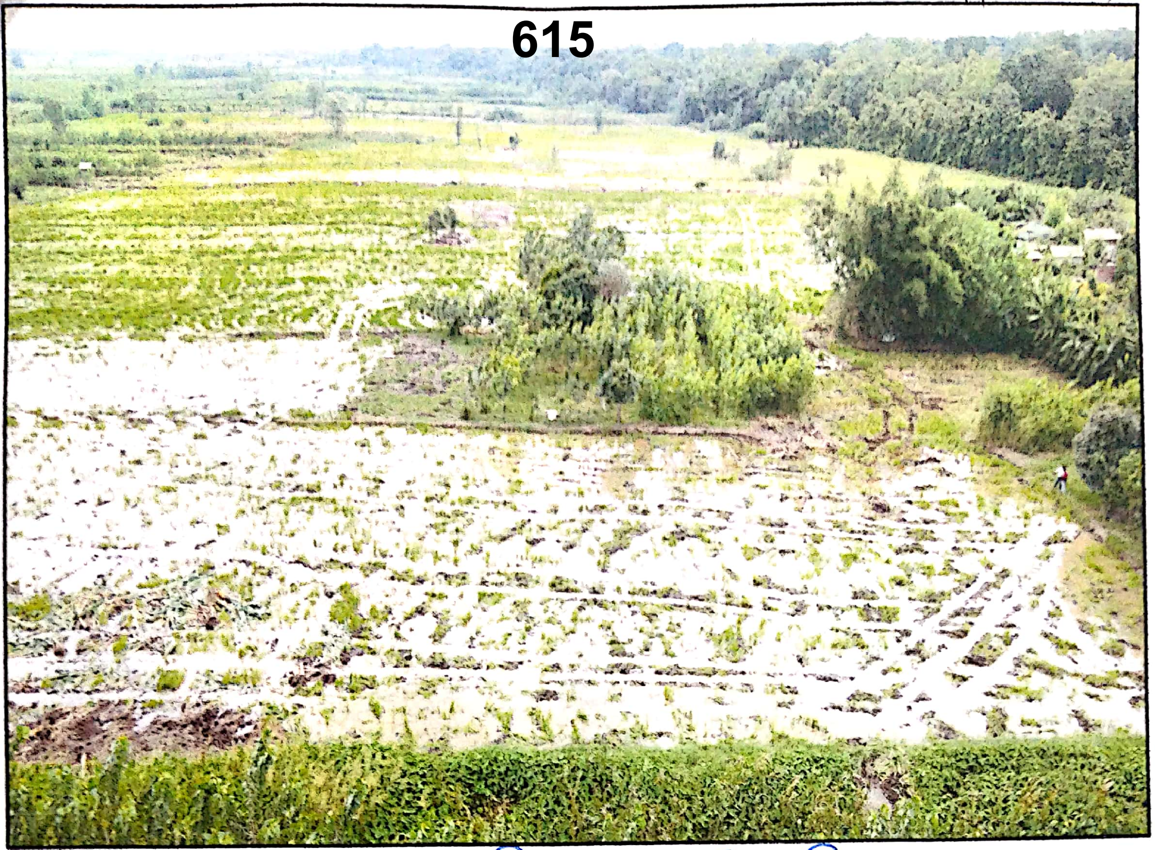

ग्राम नगला गौसाई झील की क्षति

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 2

618

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रू.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVT. OF UP

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 94AE 997887

—:: शपथ—पत्र ::—

समक्षः— सक्षम अधिकारी महोदय

मवाना।

शपथ पत्र ओर से समस्त हिन्दू बंगाली परिवार, ग्राम नंगला गोसाई, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ निम्न प्रकार है।

01. यह कि हम समस्त हिन्दू बंगाली परिवार देश विभाजन के समय से ग्राम नंगला गोसाई, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ में शरणार्थी है

02. यह कि हम समस्त हिन्दू बंगाली परिवारों द्वारा अपने सामर्थ के अनुसार ग्राम नंगला गोसाई, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ में स्थायी अथवा अस्थायी मकान बनाये हुए है तथा ग्राम के अन्तर्गत रिक्त झील की भूमि पर खेती करके अपने परिवारों का पालन—पोषण करते है इसके अतिरिक्त हमारे पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन नही है।

03. यह कि ग्राम नंगला गोसाई की ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता द्वारा हमे प्रश्नगत भूमि से बेदखल किये जाने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दिल्ली में ओ०ए० संख्या 595/2022 योजित किया गया है।

04. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 595/2022 के अन्तर्गत हमे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में प्रशासन व वन विभाग स्तर से हमारे विरुद्ध कार्यवाही करते हुये हमारे द्वारा झील की भूमि पर लगायी गयी फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है तथा प्रशासन व वन विभाग हमारे स्थायी अथवा अस्थायी मकानों को भी ध्वस्त करने की फ़िराक में है।

Scanned with OKEN Scanner

05. यह कि तहसील स्तर से हमारे विरुद्ध कार्यवाही करते हुये हमारे द्वारा झील की भूमि पर लगायी गयी फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है चूकी हम कानून को मानने वाले सभ्य हिन्दू बंगाली परिवार है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की हमारी कोई मंशा नही है भविष्य में हम बंगाली परिवारों द्वारा झील की भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जाएगी।

06. यह कि हम समस्त हिन्दू बंगाली परिवार लगभग 40–50 वर्षो से ग्राम नंगला गोसाई, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ में शरणार्थी है तथा तत्समय आवासहीन होने के कारण ग्राम प्रधान पति के पिता द्वारा ही हम लोगो को यह भूमि रहने के लिए दी गई थी कठिन परिश्रम से हमने अपने परिवार के सर के ऊपर कच्चे–पक्के मकान बनाकर रह रहे है यदि प्रशासन व वन विभाग द्वारा हमारे पुनर्स्थापित किए बिना कच्चे–पक्के मकानों को ध्वस्त किये जाने से सम्बंधित कार्यवाही की जाती है तो हम समस्त हिन्दू बंगाली परिवार बेघर और आवासहीन हो जाएगे हमारी देयनीय स्थिती को देखते हुए जब तक हमारा अन्य किसी स्थान पर रहने की व्यस्था न हो जब तक हमारे मकानों के ध्वस्त न किये जाए।

NOTARY
Najmuddin Khan
Regd. No. 01/29/2011
Mawana (Meerut)
GOVT. OF INDIA

यह कि हम समस्त हिन्दू बंगाली परिवार शपथपूर्वक ब्यान करते है कि धारा 1 ता 6 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सत्य है कोई बात झूठ अथवा छिपाई नही गई है। ईश्वर हमारी मदद करें।

दिनांक :–

ह० शपथकर्तागण

समस्त बंगाली परिवार

नि-अंगूठा हरिपद

नि-अंगूठा उपेन

नि-अंगूठा किशन

नि अंगूठा आशा

नि. अंगूठा शंकर

नि. अंगूठा साधूचरण

माइकल

दिलीप

दिलीप मण्डल

काशी नाथ

मनोज कुमार

राम मण्डल

दीपक

Biswajit

रिंकू

रमेन राय 9627538392

बिश्वजीत साहा

Laxman-9364588977

सुजय

सेपन

बिश्वजीत 7351249092

मैनी गोपाल

अमल हालदार

अजय

ओमप्रकाश

विमल

प्राण गोपाल

(3)

विजय मंडल
जन मल
विवेक मण्डल → 9012785363
विप्लव
हिरा लाल
परमजीत
सलोनी राय
मीतुना
अभीजीत
दीलीप
मेवालाल
मुकेश

नि. अंगूठा रेणु
नि. अंगूठा मधाई
नि. अंगूठा सुमरन
नि. अंगूठा माधुरी
नि. अंगूठा अलोको
गीता
प्रदीप
मनजीत
दीलीप
कन्हाई
रामचंद

NOTARY
Najamuddin Khan
Regd. 41/99/2011
Mawana (Meerut)
GOVT. OF U.P.

ATTESTED
Najmuddin Khan, Advocate
Public Notary Mawana (Meerut)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–6
लखनऊ।

संख्याः 26 /सात–एल0आर0सी0/2024 दिनांक 10–07–2024

विषयः जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुनर्वास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–595/2022 (IA NO-04/2024 & I.A No 07/2024) sarita singh & ors Vs state of u.p & or में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 का अनुपालन किये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या–366/एस0टी0 मवाना/2024 दिनांक 09–07–2024 जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हिन्दू बंगाली समुदाय के लोगों के पुनर्वास हेतु 107 परिवारों की सूची संलग्न की गयी है। चूँकि समस्त बंगाली परिवार जो ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत है, के वन्य जीव अभ्यारण के अन्तर्गत होने के कारण किसी भी प्रकार का आंवटन किया जाना विधिक नही है। ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत 107 बंगाली परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने से संबंधित सैधान्तिक (In Principal) अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उल्लेखनीय कि पूर्व में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 954/सात–भूलेख/एलआरसी/2014–15 दिनांक 10–9–2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जनपद मेरठ की तहसील मवाना के 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु जिलाधिकारी कानपुर देहात से सम्यक् जांच कराते हुए यथोचित निर्णय हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके कम में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या सीएम–25/एक–6–2021–वी0आई0पी0–02/2018–रा0 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति के कम में उक्त 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को ग्राम भैंसाया तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात में क्षेत्रफल 121.4160है0 भूमि जो पुर्नवास विभाग के नाम दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर उक्त परिवारों को पुर्नवासित किया गया था।

जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गौसाई में बसे 107 हिन्दू बंगाली समुदाय के परिवारों के पुर्नवास हेतु जनपद मेरठ में आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त 107 परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने की संस्तुति के साथ आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

10/7/2024

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner